FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0231 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/09/2025 16:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 06/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/09/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/09/2025 16:16:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 170 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA SARVANA,, JILA JALORE

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANGILAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** THAKARARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM BHALISAR, DHORIMNNA, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM BHALISAR, DHORIMNNA, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHANWAR LAL		पिता:DHUDARAM	1. GRAM ARANAAY,POLICE THANA KARDA,JALORE,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर। विषय - रिश्वत राशि नहीं देकर ट्रेप कार्यवाही करने बाबत्। महोदय, निवेदन मैं वकील मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम निवासी बाड़मेर का हूं कि मुकदमा नं. 51/2025 पुलिस थाना सरवाना जिला जालोर में दर्ज हैं, जिसका अनुसंधान HC भंवरलाल द्वारा किया जा रहा हैं, कि उक्त मुकदमें के संबध में मेरे पक्षकार केवलाराम पुत्र सिमरथाराम, पोकरराम पुत्र उमाराम व इनके परिजन निवासी सारला (बाड़मेर) उक्त मुकदमें में हमारे पैरवी करने व जांच अधिकारी के कानूनी रूप मे मिलने व कार्यवाही मेरे को अधिकृत किया हैं, जिस पर मैं HC भंवरलाल से मिला तब भंवरलाल HC उक्त FIR में नाबालिक नामजद व अन्य आरोपीगण मय पोकरराम, नानगाराम, केवलाराम व अन्य को मुलजिम बनाने के बारे में बताया। उक्त FIR की घटना में मेरे पक्षकार केवलाराम, पोकरराम व अन्य की कोई भूमिका नहीं हैं, जिस पर मैं HC भंवरलाल से मिला तथा उक्त पक्षकार की भूमिका नहीं होने का बताया तो मेरे से HC भंवरलाल ने मेरे से उक्त पक्षकारों के पक्ष में अनुसंधान करने व केवलाराम व अन्य मुलजिम नहीं बनाने की ऐवज में 70,000/- रूपये रिश्वत की मांग की, मैं मेरे वैद्य जायज कार्य के लिए HC भंवरलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मेरी HC भंवरलाल से पहले से कोई रंजिश नहीं हैं, ना ही कोई लेन-देन बकाया हैं। इति दिनांक 04-09-2025 -एस.डी.- गवाह श्री मन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक/06.09.2025 -एस.डी.- गवाह श्री राहुल चौधरी/ 06.09.2025 प्रार्थी -एस.डी.- वकील मांगीलाल, MOB -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 04.09.2025 वक्त 1000 ए.एम. पर प्रार्थी श्री मांगीलाल उर्फ मांगाराम पुत्र श्री ठाकराराम, जाति मेगवाल, उम्र 30 वर्ष, पैशा वकालात, निवासी ग्राम भलीसर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर ने अपने मुवक्कील श्री केवलाराम पुत्र श्री सिमरथाराम, जाति मेगवाल, उम्र 35 वर्ष, पैशा मजदूरी, निवासी ग्राम सारला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर के साथ ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष मय स्वयं व सह-परिवादी श्री केवलाराम के आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियों के पेश कर पुलिस दरियाफ्त पर बताया कि पुलिस थाना सरवाना में दर्ज प्रकरण सं. 51/2025 दिनांक 18.05.2025 धारा 331(6), 115 (2), 127(2), 303(2), 189(2) बी.एन.एस. 2023 की एफ.आई.आर. में नामजद दो ही मुलजिम थे, जबकि जांच अधिकारी से मैं थाने जाकर जब मिला तो वो उसने नामजद के अलावा ओर मुलजिम बनाने की आड़ में मेरे से रिश्वत की मांग की, इसलिए पुलिस थाना मे वापस आकर इस बारे में जब मैंने मेरे मुव्वकील श्री केवलाराम वगैरहा से बात की तो इन्होनें जांच अधिकारी को रिश्वत देने से स्पष्ट मना करते हुए मुझे उनके वकील की हैसियत से जांच अधिकारी के विरूद्ध पी. सी. एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करने बाबत् अधिकृत करते हुए बाड़मेर जाकर जांच अधिकारी के विरूद्ध ए.सी.बी. में रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा, जिस पर मैंने श्री केवलाराम से भी रिपोर्ट करने हेतु मेरे साथ बाड़मेर तक चलने का कहा तो केवलाराम भी मेरे साथ बाड़मेर आया हैं। इस पर हाजिर सह-परिवादी श्री केवलाराम से भी पूछताछ की गई तो उसने परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम के उपरोक्त कथनों एंव रिपोर्ट की ताईद करते हुए अपने व अपने अन्य परिजनों जो पुलिस थाना सरवाना की एफ.आई.आर. सं. 51/2025 में वांछित हैं, की तरफ से श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को वकील नियुक्त करने एंव आरोपित अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध ए.सी.बी. मे कार्यवाही कराने हेतु अधिकृत करने का कथन किया। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र का अवलोकन किया गया तो श्री केवलाराम वगैरहा की तरफ से परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को जांच अधिकारी के विरूद्ध एसीबी से कार्यवाही कराने हेतु अधिकृत करना पाया गया, उक्त अधिकार पत्र प्रकरण में वांछित होने से बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी ने रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना बताया। साथ ही परिवादी व सह-परिवादी ने यह भी बताया कि अब इससे आगे की कार्यवाही परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम वकील अकेला ही करवायेगा, लिहाजा आगे की कार्यवाही से सह-परिवादी श्री केवलाराम को फॉरिक करने का निर्णय लिया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से कार्यवाहक एच.एम. श्री बांकाराम कानि. नं. 584 द्वारा

निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिन्हें ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को ही पुनः कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री बांकाराम कानि. को समझाईस की गई। ताबाद श्री बांकाराम कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड Master 4 GB के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम के साथ पुलिस थाना सरवाना की तरफ रवाना किया गया। सह-परिवादी श्री केवलाराम को अग्रिम कार्यवाही से फॉरिक किया गया। दिनांक 05.09.2025 को प्रातः रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम के साथ भेजे गये श्री बांकाराम कानि. नं. 584 ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को आरोपित श्री भंवरलाल हैड कानि. के पास पुलिस थाना सरवाना में भेजकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर परिवादी के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग करवा ली हैं, परिवादी के अनुसार वार्ता के दोरान आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. ने प्रकरण सं. 51/2025 में मुल्जिम पक्ष श्री केवलाराम वगैरहा की मदद करने की ऐवज में 50,000 रू. रिश्वती राशि की मांग की हैं तथा रिश्वती राशि का लेन-देन दिनांक 06.09.2025 को होना तय किया गया हैं, रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु परिवादी पीछे रूकना चाहता हैं, जिस पर श्री बांकाराम कानि. को प्रकरण में गोपनीयता की पूर्ण हिदायत देकर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे छोड़ने एंव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्थिति में हमराह लेकर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर उसी रोज दोपहर के वक्त सरवाना से रवाना सुदा श्री बांकाराम कानि. नं. 584 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश कर बताया कि चौकी हाजा से रवाना होकर परिवादी के साथ सरवाना पंहुचा, किन्तु आरोपित श्री भंवरलाल हैड कानि. के थाना पर नहीं मिलने से दिनांक 04.09.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन नहीं करवाया जा सका। रात्रि विश्राम परिवादी के साथ ही किया। आज प्रातः परिवादी के साथ पुनः पुलिस थाना सरवाना के पास पंहुच परिवादी के माध्यम से आरोपित हैड कानि. की मालुमात करवाई तो उसका थाने पर मौजूद होना जानकारी में आया, जिस पर उसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मैमोरी कॉर्ड के ऑन कर आरोपित श्री भंवरलाल हैड कानि. से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना सरवाना में भेजा एंव मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार मे व्यस्त रहा। कुछ देर बाद परिवादी वापिस मेरे पास आया जिससे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में लिया। परिवादी ने बताया कि मेरी प्रकरण सं. 51/2025 में मेरे मुव्वकील श्री केवलाराम वगैरहा की मदद करने के संबध में थाने में मौजूद जांच अधिकारी श्री भंवरलाल हैड कानि. से बात हुई, जिन्होनें मेरे मुव्वकील की मदद करने की ऐवज में 50,000 रू. रिश्वत राशि की मांग की हैं, जो बात मैंने एसीबी के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली हैं। रिश्वती राशि का लेन-देन कल दिनांक 06.09.2025 को होना तय हुआ हैं। परिवादी रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहता था, जिस पर निर्देशानुसार रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु परिवादी को पीछे छोडकर मुझ कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय बाडमेर पर अविलम्ब उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाने पर निर्देशानुसार हाजिर आया हूं। जिस पर कानि. बांकाराम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डिंग वार्तालाप सुना गया तो आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. द्वारा परिवादी से 50 हजार रू. रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर उक्त प्रगति के संबध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात जरिये मोबाईल निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् निर्देश प्राप्त किये जाकर आरोपित हैड कानि. के विरूद्ध दिनांक 06.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बाड़मेर आगोर बाड़मेर से जरिये तेहरीर दो स्वतन्त्र गवाहान श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल चौधरी कनिष्ठ सहायक को मामुर करवाया जाकर दिनांक 06.09.2025 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाया गया। श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के माध्यम से परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम से सम्पर्क कर वार्ता की गई तो परिवादी ने रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 6.9.2025 को प्रातः बाड़मेर से सरवाना जाने के दौरान बीच रास्ते कस्बा धोरीमन्ना में अपने स्वयं के एक जानकार दोस्त के रूम पर मय रिश्वती राशि के उपस्थित मिलने बाबत् अवगत करवाया गया, लिहाजा परिवादी को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बरतने एंव रिश्वती राशि की व्यवस्था सहित नियत समय व स्थान पर ट्रेप दल को उपस्थित मिलने बाबत् एक बार पुनः हिदायत करवाई गई। साथ ही ट्रेप कार्यवाही में इमदाद एंव सहयोग हेतु अवकाश पर गये हुए चौकी हाजा के श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33 को जरिये मोबाईल दिनांक 6.9.2025 को प्रातः कस्बा धोरीमन्ना में उपस्थित मिलने एंव ट्रेप दल में शरीक होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 06.09.2025 को प्रातः नियत समय पर पूर्व पाबन्द सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ चौकी हाजा पर उपस्थित आये। दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री संदीप कुमार पुत्र श्री विजयसिंह, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी ग्राम गोट, पुलिस थाना सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला

झुंन्झनु, हाल कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बाड़मेर आगार व श्री राहुल चौधरी पुत्र श्री तगाराम, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी ग्राम शिवकर, पुलिस थाना रिको बाड़मेर, जिला बाड़मेर, हाल हाल कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बाड़मेर आगार के रूप में दिया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई, साथ ही ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से एक प्राईवेट वाहन ब्रिजा जेएक्सआई प्लस की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को आरोपित श्री भंवरलाल हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000 रू. मय पूर्व निर्धारित स्थान कस्बा धोरीमन्ना में आलमजी के मंदिर के पास स्थित अपने दोस्त के मकान पर उपस्थित मिलने बाबत् जरिये मोबाईल श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के माध्यम से पाबन्द करवाया गया जाकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584 व दोनां स्वतन्त्र गवाहान श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल चौधरी कनिष्ठ सहायक के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागज की पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री मनोहर कानि. नं. 39 को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर कस्बा धोरीमन्ना में आलमजी के मंदिर के पास पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम उपस्थित मिला, जिन्हें हमराह लिया जाकर उनके द्वारा बतायेनुसार वहीं नजदीक ही स्थित परिवादी के दोस्त के मकान पर पंहुच अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि 50,000 रू. के संबध में पूछा जाने पर परिवादी द्वारा रूबरू गवाहान उक्त राशि की व्यवस्था कर साथ में लेकर आना बताया। तत्पश्चात हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल चौधरी कनिष्ठ सहायक का हाजिर परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.09.2025 को आरोपित हैड कानि. के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकॉर्डर ऑन व रिवर्स-फॉरवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। इस दौरान अवकाश पर गया हुआ श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33 निर्देशानुसार बमुकाम धोरीमन्ना उपस्थित आया, जिसे बाद मुनासिब हिदायत के शामिल ट्रेप दल किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम से आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 100 नोट, कुल राशि 50,000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 KV 068617 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 VT 187961 3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 DU 877090 4 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 DB 566813 5 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 GB 163056 6 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 PM 768249 7 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 HC 298687 8 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 AB 235531 9 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 QE 112321 10 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 LD 776225 11 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 NS 149538 12 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 BF 048408 13 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 QP 861109 14 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 FW 959947 15 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 TC 573024 16 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 GA 663467 17 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 DB 544546 18 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 KA 319466 19 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 MG 730966 20 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 WM 671399 21 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 KU 806550 22 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 PP 366140 23 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 HG 676796 24 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 WR 992398 25 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 TM 062042 26 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 HU 706236 27 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 SP 690824 28 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 PM 384821 29 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 MM 068801 30 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 HU 465149 31 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 PN 543382 32 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 KN 293160 33 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 MG 124791 34 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 BW 776537 35 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 DQ 009990 36 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 DS 258361 37 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 GD 007173 38 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 VH 136363 39 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 CF 560791 40 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 CW 962344 41 एक

नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 SL 770162 42 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 HC 361778 43 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 WG 230047 44 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 MQ 419588 45 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 BT 975279 46 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 HE 887505 47 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 EV 613935 48 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 DP 302117 49 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 SQ 047390 50 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 TC 682404 51 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 RP 896364 52 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 TW 543180 53 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 HF 148749 54 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 RN 828097 55 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 FE 937415 56 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 UP 843704 57 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 EM 981096 58 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 UN 228516 59 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 KR 502778 60 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 EG 638539 61 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 KB 423946 62 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 RU 583618 63 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 SU 649940 64 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 DT 373459 65 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 DH 801701 66 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 VS 086944 67 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 PV 581236 68 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 CD 728166 69 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 PF 561438 70 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 HG 357807 71 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 HG 206906 72 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 NC 191643 73 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 BG 851654 74 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 HG 647636 75 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 CV 567723 76 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 FS 436431 77 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 RA 384586 78 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 AB 333107 79 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 AC 423961 80 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 HM 706673 81 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 KP 532491 82 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 HC 933022 83 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 BK 010187 84 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 KS 633329 85 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 ER 929123 86 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 FD 147330 87 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 FS 643018 88 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 BL 741430 89 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 MR 739106 90 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 CM 009167 91 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 EP 414903 92 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 TT 311175 93 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 AD 829045 94 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 MQ 899019 95 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 MN 475352 96 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 HH 611503 97 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 CC 591323 98 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 5 AM 650073 99 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 NK 960526 100 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 HA 553257 चौकी हाजा से वक्त रवानागी कार्यालय हाजा के मालखाना से हमराह जाब्ता के श्री मनोहर कानि. नं. 39 के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया मंगवाई जाकर श्री मनोहर कानि. नं. 39 से ही उक्त 50,000 रू. के सभी नोटों को मकान पर रखी एक टेबल पर बिछाये गये एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक मे लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी के पहनी हुई पैण्ट के पीछे की जेब में श्री मनोहर कानि. नं. 39 से रखवाये जाकर उसे स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के समक्ष हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी एंव जाब्ता को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मनोहर कानि. नं. 39 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में इस तरह से हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को मकान से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार एंव बचे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-

दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोहर कानि. नं. 39 को परिवादी, गवाहान एंव मन् एएसपी मय हमराहियान के साथ राजकीय वाहन के अलावा ब्यूरो दल के साथ मौजूद एक अन्य प्राईवेट वाहन में मौजूद रहने एंव आरोपित द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद उसके विरूद्ध रिश्वती राशि बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही तक ट्रेप दल से पृथक रहने बाबत् निर्देशित किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को हमराह लेकर कस्बा धोरीमन्ना से रवाना होकर कस्बा सरवाना, जिला जालोर में स्थित पुलिस थाना सरवाना के पास पंहुचा, थाना एंव आस-पास की लोकेशन का गोपनीय रूप से नजरी अवलोकन कर हमराह जाब्ता, परिवादी एंव गवाहान को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल मुदा नये मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को सुपुर्द करवाकर बाद मुनासिब हिदायत के रिश्वती राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. से सम्पर्क करने/मिलने हेतु रवाना पुलिस थाना सरवाना की तरफ किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी मौजूदगी छिपाते हुए राजकीय एंव प्राईवेट वाहन में ही मौजूद रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम ने पुलिस थाना सरवाना के मैन गेट पर बाहर की तरफ आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री बांकाराम कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन से रवाना होकर परिवादी के पास पंहुच उसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया, कि परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री भंवरलाल हैड कानि. ने थाने के पीछे के परिसर में स्थित अपने राजकीय क्वार्टर नं. 05 में मेरे से मांगकर रिश्वती राशि 50,000 रू. प्राप्त कर अपने पास ही स्थित एक लोहे के बक्शे पर रखे एक बिस्तरों के कट्टे (पॉकेट) के नीचे रखे थे, हैड कानि. वहीं अपने क्वार्टर में बैठा हैं, जिस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य जाब्ता को हमराह लेकर अविलम्ब थाने के पीछे स्थित क्वार्टर नं. 05 में पहुंचा, जहां लोहे की एक चारपाई पर एक व्यक्ति बावर्दी बैठा मिला, जिसे देखकर हमराह हाजिर परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम वकील ने बताया कि यही श्री भंवरलाल हैड कानि. हैं, जिस पर हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर बावर्दी चारपाई पर बैठे हैड कानि. को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री भंवरलाल पुत्र श्री धुड़ाराम, जाति विश्नोई, उम्र 47 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम अरणाय, पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर, हाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर, मोबाईल नंबर
के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. को परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने परिवादी से जान-पहचान होना बताया, रिश्वती राशि के संबध में कुछ देर तक बिना कुछ बोले निरूत्तर रहा फिर पुनः पूछने पर घबराते हुए बोला कि मैंने तो कोई राशि नहीं ली हैं। जिस पर हाजिर परिवादी ने आरोपित हैड कानि. के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूंठ बोल रहे हैं, अभी इन्होनें मेरे से मांगकर 50,000 रू. प्राप्त कर लोहे के बक्शे पर रखे बिस्तरों के कट्टे (पॉकेट) के नीचे रखे हैं। जिस पर हैड कानि. को तसल्ली देकर पुनः पूछा गया तो बताया कि मैंने इनसे प्राप्त राशि का पॉकेट क्वार्टर में बने लेट-बॉथ से बाहर की तरफ फैंक दिये हैं, जो वहीं बाहर ही होगें, इस दौरान परिवादी द्वारा निशांदेही किये गये स्थान पर हमराह गवाहान से तलाशी/चैकिंग करवाई गई तो लोहे के बक्शे पर बिस्तरों के कट्टे (पॉकेट) के नीचे रिश्वती राशि नहीं दिखी एंव न ही मिली, जिस पर आरोपित हैड कानि. द्वारा बताये गये स्थान यानि कि लेट-बॉथ की विण्डो के सीध में बाहर की तरफ बबूलों एंव आस-पास के क्वार्टरों के पीछे के खुले स्थान एंव क्वार्टर की छत पर गवाहान एंव हमराह जाब्ता के सहयोग से तलाशी ली गई किन्तु रिश्वती राशि नहीं मिली, जिस पर हैड कानि. को पुनः तसल्ली देकर पूछताछ की गई तो इन्होनें परिवादी द्वारा निशांदेह किये गये स्थान की तरफ अपने हाथ से ईशारा किया, जिस पर स्वतन्त्र गवाहान को लोहे के बक्शे पर रखे बिस्तर के कट्टे (पॉकेट) को खोलकर चैक करने का कहा गया तो दोनों गवाहान ने उपरोक्त स्थान पर गहनता से तलाशी लेनी प्रारंभ की कि इसी दौरान स्वतन्त्र गवाह श्री सन्दीपकुमार कनिष्ठ सहायक ने कट्टे में फोल्ड करके रखी गर्म ब्लेकेन्ट (कम्बल) के बीच में 500-500 रू. की एक गड्डी रखी होना बताया, जिस पर इसी गवाह से उक्त राशि फोल्ड की हुई

कम्बल में से निकलवाकर गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 100 नोट, कुल राशि 50,000 रू0 होना पाया गया। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री राहुल चौधरी के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपित के क्वार्टर में रखे पानी के कैम्पर में से एक स्टील के लोटे में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल के रंग में कोई खास परिवर्तन नहीं होकर केवल मटमेला हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपित के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर..एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार गर्म कम्बल (ब्लेकेण्ट) के फोल्ड में रखी रिश्वती राशि के सम्पर्क में आए गर्म कम्बल (ब्लेकेण्ट) के हिस्से (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) का धोवन लेने हेतु सर्वप्रथम फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि के सम्पर्क में आये गर्म कम्बल (ब्लेकेण्ट) के हिस्से पर नीले रंग की पेन से गोलाकार आकृति बनाकर चिन्हित किया गया, तत्पश्चात एक नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया, तत्पश्चात एक सफेद कपड़े का टुकड़ा (चिन्दी) ली जाकर उसे पानी से भिगोकर दो-तीन बार चिन्हित किये गये रिश्वती राशि बरामदगीस्थल पर रगड़-रगड़ कर पुनः रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर निचोड़ा गया एंव उक्त प्रक्रिया तीन से चार बार दोहराने के फलस्वरूप गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क बी.-1 व बी.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त कम्बल जिस पर VEDRUS कम्पनी का टेग लगा होकर इसे एंव इस पर से धोवन लेने हेतु प्रयुक्त सफेद कपड़े के टुकड़े (चिन्दी) को कुछ देर तक बाहर हवा/धूप में सुखाकर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर इसे एक सफेद कपड़े की थेली में सील्ड मोहर कर इस पर पर मम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क बी. अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. से राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, तत्पश्चात आरोपित के राजकीय क्वार्टर की निगरानी हेतु हमराह जाब्ता के श्री मनोहर कानि. को मामुर कर आरोपित एंव मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि आदि हमराह लेकर मन् एएसपसी मय हमराहियान आरोपित के क्वार्टर से निकलकर पुलिस थाना के स्वागत कक्ष में आये व थाने में हाजिर श्री किशनलाल ए.एस.आई. से थाने के एस.एच.ओ. के संबध में पूछा गया तो बताया कि श्री सूरजभानसिंह एस.आई. एस.एच.ओ. हैं, जो अभी राजकार्य के सिलसिले में थाने से बाहर हल्का क्षेत्र में गये हुए हैं, जिस पर मौजूदा प्रभारी थाना श्री किशनलाल ए.एस.आई. से मौखिक अनुमति प्राप्त कर थाने के इस स्वागत कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित हैड कानि. व परिवादी से आवश्यक पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल चौधरी कनिष्ठ सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 100 नोट, कुल राशि 50,000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री सन्दीप कुमार कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। जिस पर उक्त राशि को एक सफेद कपडे की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित अर्थात थाने पर दर्ज प्रकरण संख्या 51/2025 की पत्रावली के संबध में पूछा गया तो आरोपित हैड कानि. ने थाने के एच.एम. कक्ष में होना बताया, जिस पर हाजिर श्री किशनलाल ए.एस.आई. से उक्त पत्रावली मंगवाकर अवलोकन किया गया तो पूर्व में दो नाबालिग आरोपित गणेशाराम व मताराम को दिनांक 04.09.2025 को पुलिस के संरक्षण में लेकर उसी दिन श्रीमान किशोर न्यायालय जालोर में पेश कर बाल सुधार गृह में निरूद्ध करवाया गया, जबकि अन्य दो सह-आरोपितगण श्री पोकरराम व श्री नानगाराम को दिनांक 06.09.2025 को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार व मुस्तगिस का बटुआ, एटीएम कॉर्ड व आधार कार्ड आदि बरामदगी करने बाबत् दोनों आरोपितों से 27 साक्ष्य अधिनियम की ईतिला प्राप्त की गई, जिस पर अग्रिम अनुसंधान किया जाना था, प्रकरण में वजह सबूत उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर उपस्थित प्रभारी से प्रमाणित करवाकर प्राप्त की जाकर इसके प्रथम व अन्तिम पृष्ठों पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति पृष्ठ सं. 01 से 87

तक शामिल मिशल की गई, तथा मूल अनुसंधान पत्रावली हाजिर श्री किशनलाल ए.एस.आई. को अग्रिम अनुसंधानिक कार्यवाही हेतु सुपुर्द की गई। तत्पश्चात आरोपित श्री भंवरलाल हैड कानि. से उक्त रिश्वती राशि 50,000 रू. में ओर किसी अधिकारी या कर्मचारी का हिस्सा होने या उच्च अधिकारी के कहने से उसके लिए परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त करने के संबध में पूछा गया तो आरोपित हैड कानि. निरूत्तर रहा, जिस पर इसे तसल्ली देकर पुनः पूछा गया तो बताया कि मर किसी का कोई हिस्सा नहीं हैं एंव न ही किसी अधिकारी के कहने से उनके लिये प्राप्त किये हैं। तत्पश्चात वक्त लेन-देन प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की गई। इसके अलावा आरोपित की स्वतन्त्र गवाह श्री सन्दीप कुमार से जामा तलाशी लिरवाई गई उसके पास एक मोबाईल एंव पहनी हुई वर्दी के पैण्ट की पीछे की जेब में 1270 रू. पाये गये, आरोपित द्वारा मोबाईल स्वयं के निजी उपयोगार्थ होना एंव नगद राशि स्वयं के जेब खर्च की राशि होना बताया गया, जिसके संबध में आरोपित का प्रत्युत्तर संतोषजनक होने एंव उक्त दोनों प्रकरण में वांछनीय नहीं होने से मोबाईल व नगद राशि 1270 रू. आरोपित को पुनः सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया। आरोपित हैड कानि. का मूल निवास ग्राम अरणाय हैं, जहां स्थित उसके निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किया गया। प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न की जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात हस्ब कायदा सरहद लाछीवाड़ स्थित आरोपित के आवासीय घर व पुलिस थाना सरवाना में स्थित आरोपित के राजकीय क्वार्टर की हस्ब कायदा खाना तलाशियां ली जाकर दोनों स्थानों की पृथक-पृथक फर्दे मुर्तिब की गई। रिश्वती राशि बरामदगी/घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के साथ पदस्थापित होकर नौकरी करने वाले साथी कॉर्मिकगण श्री किशनलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री सचिन कानि. नं. 211, पुलिस थाना सरवाना को रूबरू मौतबिरान सुनाये जाकर आरोपित हैड कानि. के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709 के मध्य दिनांक 05.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 4 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री बांकाराम कानि. द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 4 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Master 4 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क डी अंकित किया गया। इस दौरान आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम द्वारा की गई। इसी प्रकार परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709 के मध्य दिनांक 06.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री बांकाराम कानि. द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित हैड कानि. के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 8 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Master 8 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एल अंकित किया गया। इस दौरान आरोपी व स्वयं के

आवाज की पहचान परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709 पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः श्री भंवरलाल पुत्र श्री धुड़ाराम, जाति विश्नोई, उम्र 47 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम अरणाय, पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर, हाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर को इनके द्वारा किए गए जुर्म मे आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके स्टाफ साथी श्री किशनलाल ए.एस.आई. पुलिस थाना सरवाना को रूबरू दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(II) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी हम्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात गिरफ्तार मुदा अभियुक्त श्री भंवरलाल हैड कानि. को हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान, मालखाना आईटम्स आदि के पुलिस थाना सरवाना से रवाना होकर सांचोर पंहुच आरोपित का राजकीय चिकित्सालय से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई, तत्पश्चात पुलिस थाना सांचोर पंहुच आरोपित को रात्रि सुरक्षार्थ थाना हाजा की हवालात में जमा करवाया गया। इसके पश्चात वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपित के आवास एंव सरकारी क्वार्टर की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से ही उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB मूल ही राजकीय ऑडियो-विडियों रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रिकॉर्डिंग ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से श्री लालाराम कानि. न.ं 328 द्वारा मन् एएसपी के निर्देशन में हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त कार्यवाही के ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही का एक डब मेमोरी कार्ड तथा आरोपित के निजी आवास व सरकारी क्वार्टर की खाना तलाशी कार्यवाही के अलग-अलग दो डब मेमोरी कार्ड तैयार करवाये गये, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क V अंकित किया गया। रात्रि मुकीम सांचोर में रखा गया। दिनांक 07.09.2025 को प्रातः आरोपित को थाना हाजा की हवालात मे प्राप्त कर दैनिक दिनचर्या से निवृत करवाया गया। गिरफ्तार मुदा अभियुक्त श्री भंवरलाल हैड कानि. को आज के रोज माननीय सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री मांगीलाल जयपाल उर्फ मांगाराम वकील के मुव्वकील श्री केवलराम पुत्र श्री सिमरथाराम, निवासी ग्राम सारला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर एंव अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना सरवाना में दर्ज प्रकरण सं. 51/2025 दिनांक 18.05.2025 धारा 331(6), 115(2), 127 (2), 303(2), 189(2) बी.एन.एस. 2023 की एफ.आई.आर. में नामजद मुल्जिमों के अलावा 02 से अधिक अन्य सह-आरोपितों को प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने व मुकदमें में सहयोग करने की ऐवज में मुल्जिमों के वकील श्री मांगीलाल जयपाल (परिवादी) से दिनांक 05.09.2025 को वक्त सत्यापन 50,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 06.09.2025 को वक्त लेन-देन उपरोक्त तय सुदा रिश्वती राशि 50,000 रू. लेते हुए को पुलिस थाना सरवाना के परिसर में स्थित अपने स्वयं के राजकीय आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री धुड़ाराम, जाति विश्नोई, उम्र 47 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम अरणाय, पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर, हाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर,............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्रकुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री धुडाराम,जाति बिश्नोई, उम्र 47 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम अरणाय, पुलिस थाना करडा, जिला जालोर, हाल हैड कानि. नम्बर 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगी लाल राठौड, अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 145 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1316-19 दिनांक 08.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2. पुलिस अधीक्षक, जिला जालोर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)